न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड्वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 269 / 2012</u> संस्थन दिनांक 14.06.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला—बडवानी म0प्र0

----अभियोगी

वि रू द्व

राकेश पिता कालु, आयु 22 वर्ष निवासी— ग्राम केरवां, तहसील ठीकरी जिला — बड़वानी म.प्र.

----अभियुक्त

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक 24.09.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 122 / 2012 अंतर्गत 354 506 भा.द.सं. में दिनांक 14.06.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 06.06.2012 को समय दिन के 12:00 बजे, ग्राम ग्राम केरवां बस स्टेण्ड के आगे कुआं तरफ पर फरियादिया जो कि, एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 354 भा.द.ंस. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 25.08.2015 को फरियादिया तथा अभियुक्त राकेश के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 506 भाग—2 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादिया के संबंध में अभियुक्त राकेश के विरूद्ध धारा 354 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादिया अभियुक्त को जानती है तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

- 3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 06.06.2012 को फरियादिया कुआ गाँव में पानी की कोठी लेने के लिए गई थी, जहाँ से वापस कोठी लेकर उसके गाँव केरवा आ रही थी, तभी ग्राम केरवां बस स्टेण्ड के आगे कुआँ तरफ फरियादिया को अभियुक्त राकेश मिला और कहने लगा कि वह कहा जा रही है, तब फरियादिया ने कहा कि वह अपने घर जा रही है तो अभियुक्त ने फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड़ा और साथ चलने को कहा, तब फरियादिया द्वारा चिल्लाई पर पास की दुकान पर सावन तथा राना ने देखा तो अभियुक्त फरियादिया का हाथ छोड़कर जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने फरियादिया द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 122/2012 अंतर्गत धारा 354, 506 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मिजस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 354, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.06.2012 को समय दिन के 12:00 बजे, ग्राम ग्राम केरवां बस स्टेण्ड के आगे कुआं तरफ पर फरियादिया जो कि, एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया (अ.सा.1), उपनिरीक्षक ओ.पी. यादव (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है तथा 1 वर्ष पूर्व उसका अभियुक्त से विवाद हुआ था, इसके संबंध में उसने थाना ठीकरी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट और पुलिस कथन प्रदर्शपी 2 में अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ने की बात लिखाये जाने से स्पष्ट इंकार किया है। फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह अभियुक्त के विस्द्ध असत्य कथन कर रही है।
- 8. उपनिरीक्षक ओ.पी. यादव असा 2 का कथन है कि दिनांक 06.06.2012 को थाना ठीकरी के अपराध कमांक 112/12 की विवेचना के दो।रान फरियादिया के बताये अनुसार नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाने, फरियादी एवं साक्षियों कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादिया ने प्रदर्शपी 2 के कथन में ए से ए भाग का कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादिया के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये थे।
- 9. ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण की फरियादिया ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है तथा राजीनामा हो जाने से अभियोजन ने अन्य किसी साक्षियों के कथन नहीं कराये हैं। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण की फरियादिया स्वयं ने अभियुक्त से राजीनामा होने के कारण अभियुक्त द्वारा उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ लेने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है तो अभियुक्त राकेश के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 354 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

- 10. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त राकेश के विरूद्ध निर्णय के चरण कमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नही पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 354 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं। 11.

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी अंजड़, जिला बडवानी